न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/1927/2004/दौसा

1— मूलचन्द पुत्र जीवणराम (फौत) के कायम मुकाम :—
1/1. लक्ष्मीनारायण पुत्र मूलचंद
1/2. तुलसाराम पुत्र मूलचंद
1/3. कन्हैयालाल पुत्र मूलचंद (फौत) के कायम मुकाम :—
1/3/1. सुरेश पुत्र कन्हैयालाल
1/3/2. राकेश पुत्र कन्हैयालाल
1/3/3. सुशीला पुत्र कन्हैयालाल
1/3/4. कान्ता पुत्र कन्हैयालाल
1/3/5. सोमा पुत्र कन्हैयालाल
1/4. मनोहरलाल पुत्र मूलचंद
1/5. प्रभूदयाल पुत्र मूलचंद
2— डालचंद पुत्र भोलाराम
3— रामजीलाल पुत्र जीवणराम (फौत) के कायम मुकाम :—
3/1. तेजाराम पुत्र रामजीलाल
3/2. लडडो पत्नि रामजीलाल
4— रामनारायण पुत्र जीवणराम (फौत) के कायम मुकाम :—
4/1. कैलाशचंद पुत्र रामनारायण
4/2. लालसिंह पुत्र रामनारायण
4/3. विश्वराज पुत्र रामनारायण
4/4. अटल बिहारी पुत्र रामनारायण
समस्त जाति माली निवासी ग्राम सोमाडा तहसील बसवा, जिला दौसा
4/5. बिलादेवी पुत्री रामनारायण पत्नि हीरालाल निवासी पण्डितपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1— जमनालाल पुत्र जीवणराम (फौत) के कायम मुकाम :—
1/1. बाबूलाल पुत्र जमनालाल
1/2. मोहनलाल पुत्र जमनालाल
1/3. रंगलाल पुत्र जमनालाल
निवासीगण ग्राम सोमाडा तहसील बसवा, जिला दौसा

.....असल प्रत्यर्थीगण

2— भगवती पुत्री मांगीलाल पत्नि छोटेलाल (फौत) के कायम मुकाम :—
2/1. लोकेश पुत्र छोटेलाल
2/2. धर्मेन्द्र पुत्र छोटेलाल

2/3. कुसुम पुत्री छोटेलाल
2/4. सुन्नी पुत्री छोटेलाल
समस्त जाति माली निवासी भगतन का वास तहसील राजगढ जिला अलवर

3– शिब्बो पुत्री मांगीलाल पत्नि भायाजी (फौत) के कायम मुकाम :–
3/1. कमलेश पुत्र भायाजी
3/2. मीरा पुत्री भायाजी

4– शकुन्तला देवी पुत्री मांगीलाल पत्नि मोतीलाल?

5– कमला पुत्री मांगीलाल पत्नि रामकरण
समस्त निवासी उनबहागांव तहसील बसवा जिला दौसा

6– सीताबाई पुत्री मांगीलाल पत्नि जगदीश(फौत) के कायम मुकाम :–
6/1. अनिल पुत्र जगदीश प्रसाद
6/2. मनोहर पुत्र जगदीश प्रसाद
6/3. सुमन पुत्री जगदीश प्रसाद

7– बृजकिशोर पुत्र भगवती प्रसाद

8– नवरत्न पुत्र भगवती प्रसाद

9– रेखा पुत्री भगवती प्रसाद

10–रंजना पुत्री भगवती प्रसाद

11–आशा पुत्री भगवती प्रसाद

12–विमलादेवी पत्नि भगवती प्रसाद

13–नवल किशोर पुत्र लक्ष्मण

14– मोतीलाल पुत्र लक्ष्मण
निवासीगण ग्राम सोमाडा तहसील बसवा, जिला दौसा

15–तुलसी पुत्री लक्ष्मण प्रसाद पत्नि भगवान सहाय जाति माली निवासी ग्राम पाडाब्रासडा तहसील बसवा, जिला दौसा

16–अंगूरी पुत्री लक्ष्मण पत्नि श्रवणलाल माली निवासी केसरीपुरा तहसील बसवा, जिला दौसा

.....तरतीबी प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, सदस्य
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री दिलीप सिंह, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री राघवेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

दिनांक 02–05–25

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–4–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट वादी सं.1 जमनालाल ने एक राजस्व वाद इस्तकरारहक एवं चिर–स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायालय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई के समक्ष अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी खतौनी सं. 19, खसरा नंबर 54, 62 व 88 कुल रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा के सबंध में पेश कर निवदेन किया किया कि विवादित आराजी का खातेदार जीवण था, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है। जीवन के समय से ही वादी 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है। परीक्षण न्यायालय उपजिला कलेक्टर बांदीकुई ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये वादीगण का वाद साबित न होने की स्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांक 21–2–02 द्वारा खारिज कर दिया।

3– परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट वादी ने प्रथम अपील, न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैंप बांदीकुई ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–4–04 द्वारा प्रत्यर्थी वादी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 27–4–04 से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

4– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्व रिकोर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि का पूर्ण विश्लेषण एवं विवेचन करते हुये तनकीवार निर्णय पारित किया था। जबकि अपीलीय न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। मूल खातेदार जीवण के 5 लडके है। 1961 में लिखत की थी उसमें रामनारायण के हस्ताक्षर नहीं है। अतः वह लिखित से पाबंद नहीं है। लिखतम फर्जी है, क्योंकि यदि जीवणराम के समय से ही वादी काश्त करता था तो जीवणराम से वसीयत करा सकता था। पंचायत में दिया गया प्रार्थना पत्र भी फर्जी है। जीवण के सभी वारिसान संयुक्त रूप से विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। वादी की पटवारी एवं सरपंच से सांठगांठ है। उनका यह भी कथन है कि तथाकथित लिखित अपंजीकृत है तथा वादी के हक में

ऐसा कोई दस्तावेज नहीं जिससे वादी का कब्जा साबित हो, बल्कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी 1/5 हिस्से का काबिज काश्तकार है। संवत् 2030 से 2031 की गिरदावरी में वादी का नाम नहीं है जिससे उसका कब्जाकाश्त साबित हो। पैतृक संपत्ति में पुत्रों का जन्म से बराबर हिस्सा एवं अधिकार है। वर्ष 1961 में कथित लिखतम के बाद 1970 में जीवणराम की मृत्यु पर दिनांक 21–7–70 को विरासत का नामांतरकरण तस्दीक किया गया। उस समय वादी रेस्पोडेंट ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। अपीलांट जन्म से ही विरासत की आराजी पर हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह भूमि लालचंद के पिता भोलाराम के पिता जीवण की है एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार विरासत की भूमि में प्रत्येक पुत्रों का जन्म से अधिकार होता है। वादी ने वाद पत्र के मद सं.2 में अंकित किया कि जीवणराम 14 साल पूर्व मर गया एवं भोलाराम 13 वर्ष पूर्व फौत हो गया तथा लिखतम दिनांक 22–11–61 की बताई जा रही है किंतु वाद दायरी दिनांक 11–1–71 के 13 वर्ष पूर्व स्वयं वादी द्वारा भोलाराम का देहांत होना बताता है अर्थात वर्ष 1958 में उसके अनुसार भोलाराम का देहांत हो चुका था एवं 14 वर्ष पूर्व जीवणराम का देहांत होना बताया। जिसके अनुसार 11–1–57 की तारीख आती है जबकि कथित लिखतम दिनांक 22–11–61 की बताई जा रही है जबकि उस दिन भोलाराम व जीवणराम दोनों ही जीवित नहीं थे। इससे स्पष्ट है कि वादी का वाद पत्र ही विरोधाभासी कथनयुक्त था। जिसे उपजिला कलेक्टर ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुये सही रूप से खारिज किया था। जब तक वादी अपने वाद को साबित नहीं करता उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। अपीलीय न्यायालय ने वाद को गलत डिक्री किया है। कानूनन कोई व्यक्ति खातेदारी का दावा करता है तो उसे साक्ष्य से सिद्ध करना होता है कि वह उसका खातेदार काश्तकार है। अपीलीय अधिकारी ने सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। परीक्षण न्यायालय द्वारा आवश्यक तनकियात कायम की जाकर सभी तनकियों पर विस्तृत विवेचन करते हुये वाद खारिज किया है जबकि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअदांज करते हुये अपंजीकृत लिखतम के आधार पर परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुये विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत अपील स्वीकार की है। अपीलीय न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से वादी प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

6– उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि वादी के पक्ष में दिनांक 22–11–61 को प्रतिवादीगण की ओर से लिखित इकरारनामा निष्पादित किया गया है। इस इकरानामा में वादी को विवादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से के हक देने का अंकन किया गया है। विचारण न्यायालय ने इस सम्बंध में तनकी सं.3 बनाई जो वादी के पक्ष में निर्णित की गई। तनकी नंबर 3 वादी के पक्ष में निर्णित हो जाने से तनकी नंबर 1 व 2 स्वतः ही वादी के पक्ष में तय हो जाती है। तनकी सं.4 पर किसी पक्ष ने जोर नहीं डाला। तनकी सं.5 के सम्बंध में यह बात सही है कि डालचंद, भोला

का पुत्र है तथा भोला जीवण का पुत्र है। ऐसी स्थिति में जो अधिकार जीवण के अन्य पुत्रों के है वे भोला के होने से डालचंद के भी है। परंतु चूंकि सभी प्रतिवादीगण द्वारा वादी जमनालाल के पक्ष में लिखावट लिखते हुये विवादग्रस्त आराजी के 1/3 भाग के उसे अधिकार दिये है, ऐसी स्थिति में डालचंद के कोई अधिकार 1/5 हिस्से पर नहीं हो सकते। विचारण न्यायालय ने तनकी सं. 1, 2 व 5 गलत रूप से वादी के विरूद्ध तय की थी तथा परीक्षण न्यायालय में वादी द्वारा साक्ष्यों से तनकीयात साबित कराने के बावजूद वाद खारिज किया गया है। पक्षकार के पिता के फौत होने पर इंतकाल पारित करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के 1/3 हिस्से की खातेदारी जमनालाल अकेले के नाम दर्ज करने हेतु सभी भाईयों ने मय रामनारायण ने सहमति प्रदान की, किंतु नामांतरकरण सं. 46 दिनांक 21–7–70 त्रुटिपूर्ण विरासत के आधार पर निस्तारित कर दिया। लिखतम पारिवारिक समझौता दिनांक 22–11–61 को किसी प्रतिवादी ने निरस्त नहीं करवाया एवं ना ही सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एंव वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुये तनकीवार निर्णय पारित करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर वादी की अपील स्वीकार कर वाद डिक्री करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने 2002 आरआरटी पार्ट–ा पेज 320, 2018 आरआरटी पार्ट–ा पेज 569, 2011–12 आरआरटी पेज 607, 2011 आरआरटी पार्ट–1 पेज 680 व 2006 एआईआर एससी पेज 2628 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जिनका सम्मानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया।

8– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट वादी सं.1 जमनालाल द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद बाबत् इस्तकरारहक एवं चिर–स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायालय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये निर्णय व डिक्री दिनांक 21–2–02 द्वारा खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट वादी ने प्रथम अपील, न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैंप बांदीकुई ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–4–04 द्वारा प्रत्यर्थी वादी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है। हस्तगत् वाद में वादी के वाद का मुख्य आधार लिखतम दिनांक 22–11–61 है, जिसके आधार पर वादी ने विवादग्रस्त आराजी

में 1/3 हिस्से का अनुतोष चाहा है। इस सम्बंध में विचारण न्यायालय द्वारा तनकी सं.1 कायम की गई तथा तनकी सं.1 को निर्णित करते हुये विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष अंकित किया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता जीवण की खातेदारी की आराजी थी तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पिता की विरासत की आराजी में समस्त पुत्रों का बराबर हक होता है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक 1/5 हिस्से के हिस्सेदार होते है तथा उसी मुताबिक विरासत नामांतरकरण दिनांक 21–7–70 स्वीकृत हो चुका है। वादी विचारण न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट करने में असफल रहा कि वर्ष 1961 की तथाकथित लिखतम के बाद वर्ष 1970 में खोले गये विरासत नामांतरकरण के समय दावा क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया। तथाकथित लिखित वर्ष 1961 की है तथा विरासतन नामांतरकरण वर्ष 1970 में स्वीकृत हुआ एवं वाद वर्ष 1971 में प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी के 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया तथा संयुक्त खातेदारी की आराजी पर प्रत्येक खातेदार आराजी के प्रत्येक इंच पर काबिज होने की अवधारणा के आधार पर तनकी सं.1 उसके विरूद्ध तय की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। विचारण न्यायालय ने तनकी सं.1 वादी के विरूद्ध तय होने से तनकी सं.2 स्वतः वादीगण के विरूद्ध निर्णित की है। तनकी सं.3 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी रामनारायण पर था तथा रामनारायण तथाकथित लिखितम को फर्जी साबित नहीं करने की स्थिति में तनकी सं.3 उसके विरूद्ध तय की गई। तनकी सं.4 को किसी पक्ष ने महत्व नहीं दिया। तनकी सं.5 को साबित करने का भार प्रतिवादी डालचंद पर था। डालचंद जन्म से ही विरासत की आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिस्से पाने का अधिकारी होने से उक्त तनकी उसके पक्ष में निर्णित की गई। अपीलीय न्यायालय ने तनकी सं.1 को वादी के पक्ष में निर्णित करने का मुख्य आधार विचारण न्यायालय द्वारा निर्णित की गई तनकी सं.3 का लिया है जिसके अनुसार प्रतिवादी रामनारायण तथाकथित लिखितम को फर्जी साबित नहीं कर पाया एवं वादी को तथाकथित लिखितम के आधार पर विवादित आराजी के 1/3 हिस्से का हकदार मानते हुये तनकी सं.1 वादी के पक्ष में तय की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णित तनकी सं.1 के निष्कर्ष से मंडल की खंडपीठ इत्तेफाक नहीं रखती। क्योंकि वादी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित लिखित अपंजीकृत दस्तावेज है तथा अपंजीकृत दस्तावेजात के आधार पर वादी को किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की होना स्वीकृत तथ्य है जिसमें बिना विधिवत बंटवारा हुये प्रत्येक सहखातेदार का बराबर हक व हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत होता है तथा संयुक्त खातेदारी की आराजी पर प्रत्येक खातेदार आराजी के प्रत्येक इंच पर काबिज होने की अवधारणा ली जाती है। इसके अतिरिक्त वादी ने वाद पत्र के मद सं.2 में अंकित किया कि जीवणराम 14 साल पूर्व मर गया एवं भोलाराम 13 वर्ष पूर्व फौत हो गया तथा लिखितम दिनांक 22–11–61 की बताई तथा वाद दायरी दिनांक 11–1–71 है। वाद पत्र में वादी स्वयं 13 वर्ष पूर्व भोलाराम का देहांत होना बताता है अर्थात वर्ष 1958 में उसके अनुसार

भोलाराम का देहांत हो चुका था एवं 14 वर्ष पूर्व जीवणराम का देहांत होना अंकित किया जिसके अनुसार 11–1–57 की तारीख आती है जबकि कथित लिखित दिनांक 22–1–61 की बताई जा रही है जबकि उस दिन भोलाराम व जीवणराम दोनों ही वाद पत्र में अंकित कथनों अनुसार जीवित नहीं थे। इससे स्पष्ट है कि वादी का वाद पत्र ही विरोधाभासी कथनयुक्त था। पक्षकार के पिता के फौत होने पर इंतकाल पारित करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के 1/3 हिस्से की खातेदारी वादी जमनालाल अकेले के नाम दर्ज करने हेतु सभी भाईयों ने मय रामनारायण के सहमति प्रदान करने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। नामांतरकरण दिनांक 21–7–70 विरासत के आधार पर नियमानुसार स्वीकृत किया गया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुये सही रूप से दावा खारिज किया था। जब तक वादी अपने वाद को साबित नहीं करता उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मात्र अपंजीकृत लिखितम को महत्व देते हुये पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित विवेचन किये बिना परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये वादी का वाद डिक्री कर वादी को विवादित आराजी का 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

9– वादीगण का वाद सिद्ध नही होने की स्थिति में ही परीक्षण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन व विश्लेषण के साथ तनकीवार निष्कर्ष अंकित कर वादी का वाद खारिज किया है किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को सही आलोक में नहीं देखकर मात्र कयास एवं बिना साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर वादी की अपील स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त किया है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अतः द्वितीय अपील स्वीकार योग्य है।

10– उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत् अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैंप बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–4–04 को निरस्त किया जाता है तथा उपजिला कलेक्टर बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–2–02 को बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष